UPBS120002582021

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

मूलवाद सं० 205/2021

चन्द्र प्रकाश बनाम राजेश कुमार आदि

<u>22.04.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि गाटा सं० 170 रकबा 0.109 हे० के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11ग1/1 व 11ग1/2, नकल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 12ग1/1 लगायत 12ग1/18, नकल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 13ग1/1 लगायत 13ग1/19, नकल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 14ग1/1 लगायत 14ग1/13, दाखिल किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेज बैनामा की मंसूखी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। मामला अर्जेन्ट प्रकृति का नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग२ दिनांक–05.05.2021 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग२</u>

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8ग2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।